



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164747

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7711/2026

आदनान एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.जेड. खान

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 210 वर्ष 2026, धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त के कब्जे से बरामद दर्शाए गए मादक पदार्थ की मात्रा 50 ग्राम स्मैक है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम बताई गई है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में सामने आया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त इस प्रकरण में कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त से कथित मादक पदार्थ की उक्त बरामदगी के समय स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सांविधिक प्रावधानों का वास्तविक एवं अक्षरशः अनुपालन नहीं किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, अतः सह-अभियुक्त से की गई कथित बरामदगी की विधिक मान्यता दूषित हो जाती है। अभियोजन के पीछे विद्यमान दुर्भावना के संबंध में आवेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्क के दौरान पहले ही अभिवचन किया जा चुका है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदकों की संलिप्तता के संबंध में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने के अधिकारी नहीं हैं।

5- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, इस संभावना कि वह विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, न्याय से फरार होने की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय तत्वों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

7- सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य सामग्री, किसी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदकों ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु अपना प्रकरण बनाया है।

9- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदक-**आदनान** और **इनाम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाए कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करें;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजन से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

6 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!